<u> निर्णय, आपराधिक प्रकरण क–1867/2012</u>

न्यायालय:-राजेश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,जिला-बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप.प्र.क.—1867 / 2012</u> संस्थित दि.—09.10.2012

सी.एन.आर.नं.mp50010004552012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, किरनापुर जिला बालाघाट म.प्र.

. . . . अभियोजन

वि रू द्ध

1-नेहरू पिता प्रताप उम्र 50 साल

2—गोवर्धन पिता शिवचरण उम्र 60 साल निवासीगण—ग्राम परसवाडा थाना किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—लक्ष्मण पिता गनाराम उम्र 40 साल निवासी—ग्राम हिर्री थाना किरनापुर जिला बालाघाट (म.प्र.)

(फरार) 4—ज्ञानीराम पिता जेठू चौधरी उम्र ४० साल निवासी—ग्राम दहेदी थाना किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(मृत) 5—ईवलाल पिता ऐशनलाल उम्र 35 साल निवासी—मोरवाही थाना किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

राज्य द्वारा अभियुक्तगण द्वारा श्री अनिल माहोरे ए.डी.पी.ओ.।श्री योगेंद्र दहीकर अधिवक्ता।

<u>// निर्णय //</u> [आज दिनांक 14—जून—2017 को घोषित]

- 01— अभियुक्तगण पर धारा—4 व 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में दण्डनीय अपराध करने का यह अपराध है कि उन्होंने दिनांक 30.09.2012 को 11:00 बजे आरक्षी केंद्र किरनापुर के अंतर्गत परसवाडा से रंजेगांव रोड नहर के पास 06 नग बैल, 05 नग गाय, 01 नग गाय की बाछिया कुल पशु 12 नग कीमत 15,000 / —रूपये, यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि उनका वध किया जायेगा, उनके वध के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य सीमा की ओर परिवहन किया।
- 02— अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी लेखराम खरे बजरंग दल किरनापुर में सहसंयोजक है और दिनांक 30.09.2012 को लगभग 11:00 बजे जैतलाल ने मोबाईल फोन से संपर्क कर उसे सूचना दी कि परसवाडा रजेगांव के बीच रोड से गाय, बछडा एवं बैलों को कत्लखाना ले जाने के लिये कुछ लोग हॉकते हुए ले जा रहे थे तब वह सूचना पर योगराज, अर्जुन व अखलेश को लेकर वहां पहुंचा तो जैतलाल मिला, जिसके साथ ग्राम परसवाडा, रजेगांव के बीच रोड से ईवलाल, ज्ञानीराम, लक्ष्मण, नेहरू और गोवर्धन को 6 नग

2 <u>निर्णय, आपराधिक प्रकरण क-1867/2012</u>

बैल, 5 नग गाय एवं 1 नग गाय की बिछया को हॉकते हुए रजेगांव से चंगेरा महाराष्ट्र वध के लिये व्यापारी के पास ले जाते हुए पकडा और मवेशियों सिहत पैदल थाना लेकर आये।

- 03— फरियादी लेखराम द्वारा उक्त संबंध में रिपोर्ट किये जाने पर थाना किरनापुर, जिला बालाघाट में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक क्षमेंद्र तुरकर ने अपराध क्रमांक 121/2012 अंतर्गत धारा 4 व 9 म.प्र. गौ प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण से मवेशी जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया तथा साक्षी लेखराम, योगराम, अर्जुन, अखलेश एवं जैतलाल के कथन लेखबद्ध किया एवं जप्तशुदा मवेशियों का स्वास्थ परीक्षण वेटनरी पशु चिकित्सक किरनापुर से कराया। फरियादी लेखराम की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका तैयार कर जप्त मवेशियों को सुरक्षा हेतु गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी हिफाजत भेजा। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- **04** अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अपराध विवरण तैयार कर उसकी विशिष्टियां उन्हें पढकर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध विवरण में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण की मांग की। अभियोजन साक्ष्य अंकित की गयी।
- 05— अभियोजन साक्ष्य के रूप में योगराज उपरीकर अ.सा.—01, अर्जुन नेवारे अ.सा.—02, लेखराम अ.सा.—03, डॉक्टर मिनेश मेश्राम अ.सा.—04, अखिलेश कुमार अ.सा.—05, जैतलाल अ.सा.—06, विनोद कुमार संचेती अ.सा.—07 एवं क्षमेंद्र अ.सा.—08 आदि के कथन न्यायालय के समक्ष कराए जाकर समर्थन में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—01 लगायत प्रदर्श पी—05, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—6 लगायत 10, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—08, साक्षी योगराज उपरीकर अ.सा.—01 का पुलिस कथन प्रपी—11, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

नोट— अभियोजन साक्ष्य के दौरान आरोपी ईवलाल के गिरफतारी पत्रक एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक ही प्रदर्श —08 से अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा की दृष्टि से निर्णय के आगे के पदों में आरोपी ईवलाल के गिरफतारी पत्रक को प्रदर्श पी—08 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श पी—08 "ए" से संबोधित किया जावेगा।

06— अभियुक्तगण का धारा—313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने सभी प्रश्नो का उत्तर पता नहीं, गलत है, आदि में देकर स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना बताते हुये बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।

07- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि-

01— क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.09.2012 को करीब 11:00 बजे आरक्षी केंद्र किरनापुर के अंतर्गत परसवाडा से रंजेगांव रोड नहर के पास 06 नग बैल, 05 नग गाय, 01 नग गाय की बाछिया कुल पशु 12 नग कीमत 15,000 रूपये, यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि उनका वध किया जायेगा, उनके वध के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य सीमा की ओर परिवहन किया ?

-: सकारण निष्कर्ष :-

- अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोपित अपराध न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कराये जाने की दृष्टि से जिन साक्षियों की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनमें से फरियादी लेखराम अ.सा.-03 का इस संबंध में कहना है कि वह आरोपी नेहरू के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। लगभग 03 वर्ष पूर्व मुखबिर द्वारा उसे सूचना मिली कि कुछ मवेशी महाराष्ट्र की ओर कत्लखाना ले जाये जा रहे हैं तब वह लोग परसवाडा पहुंचे तो देखा कि चार से पांच लोग जानवरों को ले जा रहे है तब उनसे पृछताछ की तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की ओर कत्लखाना ले जा रहे है तब वह लोग उक्त चार-पांच लोगों को किरनापुर थाने ले आये, साक्षी योगराज अ.सा.—01 का इस संबंध में कहना है कि वह आरोपींगण को जानता है। लगभग 02-03 वर्ष पूर्व 02-03 बर्ज देवगांव पुल के पास आरोपींगण बैल लेकर पैदल महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे, जिन्हें उसने व उसके साथियों ने पकडा और आरोपीगण को थाना किरनापुर ले आये। आरोपीगण कटाई के लिये जानवरों को ले जा रहे थे, इसी संदेह से उन्हें पकडकर थाने ले गये। जप्ती व गिरफतारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी-01 लगायत 10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं साक्षी अर्जुन अ.सा.–02 का इस संबंध में कहना है कि वह आरोपीगण को परसवाडा ग्राम निवासी होने के कारण पहचानता है। लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह 10:00 बजे बस स्टेण्ड चौक परसवाडा में आरोपीगण के पास से गाय एवं बैल पकड़े गये थे। आरोपीगण बैलों को कत्लखाना ले जा रहे थे।
- 09— अभियोजन साक्षी अलिखेश अ.सा.—05 का इस संबंध में कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। जैतलाल ने उसे फोन पर कोई जानकारी नहीं दी एवं साक्षी जैतलाल अ.सा.—06 का इस संबंध में कहना है कि आरोपीगण को नहीं जानता है और न ही घाटना के संबंध में उसे कोई जानकारी है। साक्षीगण द्वारा अभियोजन अनरूप साक्ष्य न दिये जाने के कारण पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न के माध्यम से अभियोजन द्वारा सुझाव दिये जाने पर भी साक्षीगण ने दर्शित साक्षीगण के माध्यम से अभिलेख पर परिलक्षित तथ्यों सहित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। डॉ. मिनेश मेश्राम अ.सा.—04 का इस संबंध में कहना है कि दिनांक 30. 09.2012 को पशु चिकित्सालय किरनापुर में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान थाना प्रभारी किरनापुर के अनुरोध पर उसके द्वारा 6 बैल, 5 गाय एवं 1 बिछया का स्वास्थ परीक्षण किया गया, जिसमें उसके द्वारा 3 गाय के अतिरिक्त सभी मवेशी की शारीरिक स्थित स्वस्थ पाई गई और उक्त तीन 3 गायों की शारीरिक स्थिति कमजोर और बहुत ज्यादा दुबली—पतली थी, परीक्षण उपरांत उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 होकर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 10— अनुसंधान अधिकारी क्षमेंद्र अ.सा.—08 का इस संबंध में कहना है कि दिनांक 30. 09.2012 को थाना किरनापुर में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ रहने के दौरान बजरंग दल के सहसंयोजक लेखराम व उसके साथी द्वारा 6 नग बैल, 5 नग गाय व 1 नग बिछया सिहत आरोपी नेहरू, गोवर्धन, ज्ञानीराम, लक्ष्मण व ईवलाल को थाना किरनापुर में लाये जाने पर उसके द्वारा एफ.आई.आर प्रदर्श पी—08 "ए" दर्ज की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसके

4 <u>निर्णय, आपराधिक प्रकरण क—1867/2012</u>

हस्ताक्षर है और तत्पश्चात् साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण के आधिपत्य से उपरोक्त मवेशी जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किये गये और आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाये गये तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये और लेखराम की उपस्थिति में घ ाटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका तैयार किया गया। अभियोजन द्वारा दर्शित उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य के माध्यम से अभिलेख पर दर्शित तथ्यों के अनुक्रम में बचाव पक्ष द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी योगराज अ.सा.—01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में यह स्वीकार किया है कि उन लोगों ने अंदाज से शंका के आधार पर आरोपीगण द्वारा जानवरों को कत्लखाना कत्ल कराने के लिये ले जाना समझा था तथा यह भी स्वीकार किया कि रजेगांव जहां से महाराष्ट्र की सीमा लगती है वहां कहीं पर भी बूचडखाना नहीं है, साक्षी अर्जुन अ.सा.—02 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण किसान होकर सब्जी—भाजी उगाकर अपना उदर—पोषण करते है तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में यह स्वीकार किया कि जिस वक्त उन्होंने आरोपीगण को जानवरों सहित पकडा उस वक्त उन्हों नहीं मालूम था कि जानवर कहां लेकर जा रहे थे।

- इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोपित अपराध प्रमाणित कराये जाने की दृष्टि से दर्शित जिन साक्षीगण की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनके माध्यम से अभिलेख पर कई बिंदुओं के संबंध में एक समान तथ्य परिलक्षित न होकर भिन्न एवं विरोधाभासी तथ्य परिलक्षित हुए हैं, जो अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न करते है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–08 ''ए'' में फरियादी लेखराम द्वारा यह लेख कराया गया है कि साक्षी जैतलाल की सूचना पर से उसके द्वारा अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर जाकर अभियुक्तगण के संबंध में कार्यवाही की गई, जबकि साक्षी जैतलाल अ.सा.–06 ने अपने न्यायालयीन कथन में आरोपीगण को जानने से इंकार कर ६ ाटना के संबंध में भी जानकारी होने से इंकार किया है, साक्षी योगराज अ.सा.-01 ने अपने मुख्य परीक्षण में संदेह के आधार पर आरोपीगण द्वारा जानवरों को कटाई के लिये ले जाना बताया है तदोपरांत अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न के माध्यम से सुझाव दिये जाने पर यह भी बताया है कि आरोपीगण बैल, गाय व बिछिया ले जा रहे थे, लेकिन किसके पास ले जा रहे थे इसकी जानकारी नहीं है साथ ही साक्षी अर्जुन अ.सा.-02 ने भी बचाव पक्ष द्वारा सुझाव दिये जाने पर भी यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण को जानवरों सहित पकड़ने के समय उन्हें मालूम नहीं था कि जानवर कहां लेकर जा रहे है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी साक्षीगण द्व ारा बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिये जाने पर अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया गया है कि जहां पर जानवरों सहित आरोपीगण को पकडा गया वहां पर आसपास बूचडखाना नहीं है।
- 12— इस तरह अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से दर्शित तथ्यों के अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण इस तथ्य की ही पुष्टि अभिलेख पर नहीं हुई है कि आरोपीगण द्वारा जप्तशुदा जानवरों को वध करने के लिये बूचडखाना ले जाया जा रहा था और जहां तक अनुसंधान अधिकारी क्षमेंद्र अ.सा.—08 का संबंध है तो उसके द्वारा भी उक्त संबंध में मात्र लेखराम व उसके साथियों द्वारा अभियुक्तगण को मवेशियो सिहत थाने पर लाये जाने के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर इस संबंध में कोई भी अनुसंधान नहीं किया गया कि आरोपीगण द्वारा जानवरों को वध करने के लिये अथवा अन्य प्रयोजन से ले जाया जा रहा था साथ ही पशु चिकित्सक डॉ. मिनेश मेश्राम अ.सा.—04 ने भी जप्तशुदा जानवरों के शरीर पर परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चोट होने के संबंध में भी अभिव्यक्त नहीं किया है तब ऐसी स्थित में दर्शित

5

उपरोक्त तथ्यों के अनुक्रम में घटनास्थल के आसपास बूचडखाना न होने एवं आरोपीगण के किसान होकर सब्जी—भाजी उगाकर अपना उदर—पोषण करने संबंधी तथ्यों के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में उत्पन्न संशय की स्थिति और अधिक प्रबल हो जाती है।

- 13— इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्षीगण की न्यायालयीन साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जो तथ्य अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेख पर परिलक्षित हुये हैं, उनके आधार पर अभियुक्तगण द्वारा उक्त आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में अभियोजन कहानी विश्वसनीय न होकर संदेहजनक है। न्याय दृष्टांत जोगेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 कि.मी. लॉ जनरल 117 पंजाब—हरियाणा एवं न्याय दृष्टांत विकमजीतसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य 2007 (1) एस.सी.किमी.732. अवलोकनीय है जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कितना भी प्रबल संदेह हो और न्यायाधीश का कितना भी प्रबल नैतिक विश्वास एवं निश्चय हो, परन्तु जब तक साक्ष्य तथा अभिलेख की विषय वस्तु के आधार पर युक्तियुक्त शंका के परे दोषारोपण सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अतः समग्र परिस्थितियो, संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य एवं सम्माननीय न्याय दृष्टांतो के आलोक में यह न्यायालय आरोपीगण को उक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाना उचित नही समझती है। परिणामतः संदेह का लाभ देते हुए आरोपीगण को धारा—4 व 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के आरोपित अपराध में दोषमुक्त धोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण की प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र धारा 437 (क)(1) संशोधित दं०प्र0सं अनुसार छः महीने बाद अथवा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो।
- 15— अभियुक्तगण के संबंध में धारा 428 द.प्र.ंस. के तहत अभिरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 16— प्रकरण में अभियुक्त जानीराम फरार है इस कारण प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावे कि अभियुक्त ज्ञानीराम के फरार होने से प्रकरण सुरक्षित रखा जावे। इस कारण प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण इस प्रक्रम पर नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया। मेरे बोले अनुसार टंकित किया गया।

(राजेश शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला बालाघाट (म.प्र.) (राजेश शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला बालाघाट (म.प्र.)